





736/16-17


आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
15/06/21	<p>अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार <u>कोरने लिमिटेड्स लकडा</u> पिता <u>पतरस मांगु लकडा</u> को खास नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>24/06/21</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
24/06/21	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी से मूल कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>13/07/21</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
13/07/21	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक <u>16/08/21</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
16/08/21 20/06/22	<p>अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार <u>कोरने लिमिटेड्स लकडा</u> पिता <u>पतरस मांगु लकडा</u> को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के <u>वंशज</u> द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम <u>कुरडेग</u> खाता संख्या <u>218</u> प्लॉट संख्या <u>371</u> रकबा <u>0.25 ए०</u> वर्ष <u>X</u> का लगान स्वीकृत प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान <u>कोई भी लिखित बयान नहीं दिया</u> है कि उनके पास <u>कोई भी लिखित बयान नहीं दिया</u> है कि उनके पास <u>कोई भी लिखित बयान नहीं दिया</u> है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदन किया है कि पंजी- II में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार <u>दर्ज नहीं</u> है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने यह भी प्रतिवेदन किया है कि विषयगत भूमि ग्राम <u>कुरडेग</u> खाता संख्या <u>218</u> प्लॉट संख्या <u>371</u> सर्वे खतियान में किस्म <u>जंगल भाड़ी</u> दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0, दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशांसा किया है।  क्रमशः</p>	


उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कोरनेलिमुस लकडा पिता पतरस मांगु लकडा
ग्राम कुरडेग के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध प्रतित होता है:-

क्र०सं०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	<u>कुरडेग</u>	<u>12</u>	<u>218</u>	<u>371</u>	<u>0.25 ए०</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रांची का पत्रांक- 2074/रा०, दिनांक- 13.05.2016. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6144/रा०, दिनांक- 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा०, दिनांक- 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिमडेगा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
कुरडेग।


अंचल अधिकारी,
कुरडेग।